Mitch an Inual The Gazette of India

अ्साधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

tt. 313] No. 313] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येक 17, 1932

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

सा.कर.चि. 47\$(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के गंधीर धोख्यधड़ी खांच कार्यालय में अभियोजन फाइल करने और उनके संचालन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- 1. श्री अजय कुमार, अभियोजक-11
- 2. श्री आर. के. तिवारी, सहायक निदेशक

फि. सं. 3/5/2004-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2010

G.S.R. 475 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956.

- 1. Shri Ajay Kumar, Prosecutor-II
- 2. Shri R.K. Tiwari, Assistant Director

[F. No. 3/5/2004-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

2164 GV2010